



UPFD010000862003

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं० 310/2003

राज्य अभियोजनपक्ष
 बनाम

- 1- नवीन पुत्र ओमप्रकाश,
 - 2- मुन्नालाल पुत्र भीकम सिंह,
 - 3- कैलाश पुत्र भंवरपाल,
 - 4- राजू सिंह पुत्र राज पाल,
 - 5- उदयवीर पुत्र नवाब सिंह,
 - 6- मुन्नालाल पुत्र बालकराम, (मृतक दौरान विचारण)
 - 7- बबलू पुत्र मुन्नालाल,
 - 8- छोटेलाल पुत्र मुन्नालाल,
 - 9- पिंकी पुत्र मुन्नालाल,
 - 10- महीपाल पुत्र संजय सिंह, (मृतक दौरान विचारण)
 - 11- विद्याराम पुत्र वीरेन्द्र सिंह,
- समस्त निवासीगण- तिलियानी, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद।
अभियुक्तगण।

धारा- 147,148,149,323,
 325,504,506 भा०द०सं०
 व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 थाना- सिरसागंज, जिला- फिरोजाबाद।
 अपराध संख्या- 37/2001

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 37/2001 में

अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल, विद्याराम के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 147,148,149,323,325,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया। अभियुक्तगण मुन्नालाल एवं महिला की दौरान विचारण मृत्यु होने के कारण उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी (Informant) राजेन्द्र सिंह पुत्र रामगुलाम, निवासी तिलियानी, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद द्वारा एस०पी० फिरोजाबाद को प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-1** इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि-

"निवेदन है कि प्रार्थी राजेन्द्र सिंह धानुक पुत्र श्री रामगुलाम धानुक निवासी तिलियानी थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद का रहने वाला है। दिनांक 21-01-2001 को समय करीब 10.00 बजे सुबह प्रार्थी के प्लाट में जबरन खड़जा बनाने की कोशिश की तो प्रार्थी ने मना किया कि इसी बात पर प्रार्थी के गाँव के नवीन पुत्र ओमप्रकाश ठाकुर, मुन्नालाल पुत्र भीकम सिंह ठाकुर, कैलाश पुत्र भंवर पाल ठाकुर, राजू सिंह पुत्र राजपाल ठाकुर, उदयवीर सिंह पुत्र नवाब सिंह, मुन्नालाल पुत्र बालकराम तेली, बबलू पुत्र मुन्ना सिंह ठाकुर, छोटे सिंह पुत्र मुन्नालाल, पिकी पुत्र मुन्नालाल ठाकुर, महीपाल पुत्र लेजम सिंह, विद्याराम पुत्र वीरेन्द्र सिंह लाठी, डण्डों से लैस होकर व एक राय व मशवरा करके प्रार्थी को गाली-गलौज करते हुये प्रार्थी के घर में घुस आये और प्रार्थी की मारपीट करने लगे जिससे प्रार्थी के चोटें आयीं। ये लोग सवर्ण जाति के हैं। प्रार्थी जाति का धानुक है। प्रार्थी की चीख पुकार पर गाँव के ही सूरजपाल पुत्र ईश्वरी, रमेश पुत्र सूरजपाल, शादीलाल पुत्र रामेश्वर, सन्वेश पुत्र रामेश्वर, सुरेश पुत्र सूरज पाल आ गये। इनकी भी उपरोक्त सभी लोगों ने मारपीट की जिसेस उनके चोटें आईं। जाते समय उपरोक्त लोगों ने धमकी दी कि साले धनुकाओ तुम्हे गांव में नहीं रहने देंगे। तुम्हें जान से मार देंगे। जाति सूचक अनेक गालियां दी। प्रार्थी उक्त घटना की रिपोर्ट करने थाना सिरसागंज गया तो वहां उपरोक्त लोगों के प्रभाव के कारण मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मजबूरन प्रार्थी श्रीमान जी की सेवा

में यह रिपोर्ट जरिये डाक भेज रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज की जाकर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।"

3. वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिरसागंज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 37/2001 अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल, विद्याराम अंतर्गत धारा 147, 323, 325, 452, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये घटनास्थल निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र उपरोक्त प्रेषित किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 207 द०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मामला सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

4. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल, विद्याराम को आरोप के बिंदु पर सुना गया तथा दिनांक 05-08-2004 को धारा 147,148,149,323,325,504,506 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

धारा 147 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव था,
- (ii) यह कि ऐसा जमाव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में उल्लिखित पांच उद्देश्यों में से एक रखने के कारण, जब यह आयोजित किया गया था, विधिविरुद्ध था या तत्पश्चात् विधिविरुद्ध हो गया था,
- (iii) यह कि ऐसा उद्देश्य ऐसे जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य था,

(iv) यह कि अभियुक्त या ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य ने बल या हिंसा का प्रयोग किया; एवं,

(v) यह कि ऐसा बल या हिंसा का प्रयोग ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया था,

धारा 148 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

(i) यह कि अभियुक्त ऐसे घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से सुसज्जित था;

(ii) यह कि ऐसा आयुध या चीज ऐसी थी कि उसे आक्रमक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो; एवं,

(iii) यह कि ऐसे आयुध या चीज से बल्वा कारित किया गया।

धारा 149 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

(i) यह कि अपराध विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कारित किया गया था; एवं

(ii) यह कि ऐसा अपराध उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कारित किया गया था; एवं,

(iii) यह कि कारित किया गया अपराध ऐसा होना चाहिए जिसे उस जमाव के सदस्य कारित किया जाना संभाव्य जानते थे।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

(i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;

(ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 325 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

(i) यह कि अभियुक्त ने उपहति कारित किया;

(ii) यह कि उपहति धारा 320 में विनिर्दिष्ट घोर रूप में थी;

(iii) यह कि उपहति धारा 39 में यथा परिभाषित "स्वेच्छया" कारित की गयी थी;

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि-

कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा (X) के प्रावधान के अनुसार- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा।

वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

5. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 राजेन्द्र सिंह	वादी मुकदमा (Informant)
2	PW-2 सूरजपाल	चक्षुदर्शी साक्षी/चोटहिल
3	PW- 3 रमेश कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी/चोटहिल
4	PW- 4 शादीलाल	चक्षुदर्शी साक्षी/चोटहिल
5	PW- 5 डा० दिलीप कुमार	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
6	PW- 6 रूचिता चौधरी	विवेचक
7	PW- 7 श्रीमती कुसमा देवी	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
8	PW- 8 देवेश प्रकाश शर्मा	एक्स-रे टेक्निशियन
9	PW- 9 हेड का० विजय सिंह	द्वितीयक साक्षी

6. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	मेडिकल रिपोर्ट राजेन्द्र	प्रदर्श क- 2
3	मेडिकल रिपोर्ट रामेश्वर	प्रदर्श क- 3
4	मेडिकल रिपोर्ट सूरजपाल	प्रदर्श क- 4
5	मेडिकल रिपोर्ट नरेश	प्रदर्श क- 5
6	मेडिकल रिपोर्ट संदेश	प्रदर्श क- 6
7	मेडिकल रिपोर्ट शादीलाल	प्रदर्श क- 7
8	मेडिकल रिपोर्ट रमेश	प्रदर्श क- 8
9	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 9
10	पूरक मेडिकल रिपोर्ट रामेश्वर	प्रदर्श क- 10
11	पूरक मेडिकल रिपोर्ट नरेश	प्रदर्श क- 11
12	पूरक मेडिकल रिपोर्ट राजेन्द्र	प्रदर्श क- 12
13	एक्स-रे रिपोर्ट राजेन्द्र	प्रदर्श क- 13

14	एक्स-रे रिपोर्ट नरेश	प्रदर्श क- 14
15	एक्स-रे रिपोर्ट रामेश्वर	प्रदर्श क- 15
16	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 16
17	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क- 17
18	जी०डी०	प्रदर्श क- 18

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षियों को गलत एवं झूठी गवाही देना एवं गाँव की रंजिश के कारण मुकदमा चलना बताया।

8. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 राजेन्द्र वादी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 21-01-2001 की सुबह करीब 10 बजे की है। प्रधान गया प्रसाद मुल्जिमान नवीन, मुन्नालाल, छोटेलाल, बबलू, मुन्नालाल, कैलाश, पिकी, राजू, उदयवीर, महीपाल, विद्याराम ने प्रार्थी के प्लाट में जबरन खड़जा बनाने की कोशिश की तो मैंने मना किया। इसी बात पर मुल्जिमान सभी लाठी, डण्डा, फावड़ा आदि लेकर आये। माँ-बहन की गालियां दी और मुझे मारापीटा। मुन्नालाल पुत्र भीकम सिंह ठाकुर ने फावड़े का बेट मेरे सीधे पैर में मारा जिससे मेरा पैर टूट गया। मेरी पीठ में भी चोटें आयी थी। नवीन ने मेरी बांह में फावड़े का बंट मारा था जिससे मेरी बाँह टूट गयी थी। मेरी चीख-पुकार पर सूरजपाल, नरेश, संदेश, शादीलाल, रमेश और रामेश्वर आदि आ गये थे, जिन्होंने हमको बचाया तो मुल्जिमान उनको भी मारापीटा था, जिससे उनके भी चोटें आयी थी। जाते समय मुल्जिमान ने धमकी दी थी कि साले धनुकाओं आज तो बच गये हो अबकी जान से मार देंगे। घटना की रिपोर्ट करने में थाना सिरसागंज गया था। मुल्जिमान की दबंगई के

कारण रिपोर्ट नहीं लिखी और कोरे कागज पर मेरे दस्तखत करा लिये थे। इसके बाद मैं रिपोर्ट टाइप कराकर एस०पी० साहब को डाक से भेजी थी तथा रिपोर्ट के साथ सभी लोगों जो चुटैल थे की डाक्टरी भी भेजी थी। मेरी जाति धानुक है। मुल्जिमान ठाकुर जाति के हैं। एक मुल्जिम मुन्नालाल पुत्र बालकराम तेली जाति का है। यह प्लाट मेरे व मेरे भाई लखपति के नाम था। इससे पहले यह प्लाट मेरे पिता के नाम में था। लखपति ने अपना हिस्सा मेरे बहनोई जयदयाल को दे दिया है। गवाह को पत्रावली में दाखिल उसकी तहरीर कागज सं० 3अ/2 दिखायी गयी तो गवाह ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की और कहा कि यह वही तहरीर है। तहरीर पर प्रदर्श क-1 अंकित किया गया। यह तहरीर मैंने दिनांक 23-01-2001 को एस०पी० साहब को भेजी थी।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 सूरजपाल को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना आज से लगभग 14 साल पहले की बात है। सुबह 10.00 बजे का समय था। राजेन्द्र सिंह मेरे भतीजे हैं। राजेन्द्र को मुन्नालाल, नवीन, कैलाश, राजू, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल और विद्याराम एक राय होकर पत्थर से मारपीट कर रहे थे। मुल्जिमान जबरदस्ती खड़ंगा बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भतीजे के मना करने पर उन लोगों ने मारापीटा। शोर पर मैं, नरेश, संदेश, शादीलाल, रमेश, रामेश्वर मौके पर पहुँच गये थे। इन लोगों ने हम लोगों के साथ भी मारपीट की थी, जिससे मुझे भी चोटें आयी थी। राजेन्द्र के पैर पर फावड़े के बेट से मुन्नालाल ने वार किया था, जिससे उसका पैर टूट गया था। मेरा डाक्टरी मुआयना हुआ था। चोटें मेरे अलावा राजेन्द्र सिंह, रामेश्वर, संदेश, नरेश, शादीलाल आदि लोगों के चोटें आयी थी। मेरा डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ था। मेरे सीधे कान के ऊपर सिर पर चोटें आयी थी तथा कंधे पर चोटें आयी थी।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 रमेश कुमार को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“घटना आज से लगभग साढ़े चौदह साल पहले सुबह 10.00 बजे की है। उस दिन राजेन्द्र सिंह के प्लाट में अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिंकी, महीपाल व विद्याराम खड़ंजा बनाने की कोशिश कर रहे थे। राजेन्द्र सिंह के मना करने पर इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर मौके पर मैं, नरेश, संदेश, शादीलाल, सूरजपाल, रामेश्वर, आदि लोग पहुँच गये थे। हम लोगों ने मना किया तो हम लोगों से भी मारपीट करने लगे। हम लोगों को डण्डा व ईट पत्थर से मारा जिससे हमारे सिर, हाथ व पैर में चोटें आयी थी। मेरी चोटों का डाक्टरी मुआयना। राजेन्द्र के पैर में मुन्नालाल ने फावड़े की बेंट से वार किया था जिसेस उसका पैर टूट गया था तथा उन लोगों ने उन लोगों से कहा साले धनुको तुम्हे इस गाँव में नहीं रहने देंगे तथा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट गाँव के प्लाट के पास हुई थी।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 शादीलाल को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“मैं मजदूरी करता हूँ। दिनांक 21-01-2001 को मैं सुबह 10.00 बजे मजदूरी करने के लिये खेत पर गया था। मेरे साथ नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम तेली, बबलू, छोटेलाल, पिंकी, महीपाल, विद्याराम ने कोई भी मारपीट नहीं की थी। मैं जब खेत पर जा रहा था, रास्ते में मुझे ठोकर लग गयी थी। मैं गिर गया था। गिरने से मेरे चोटें आई थी। मेरे साथ उपरोक्त मुल्जिमानों ने कोई भी गाली-गलौच नहीं की। जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। ना ही मुझे इन लोगों ने जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में कराया था।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 डा० दिलीप कुमार को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“मैं दिनांक 24-01-2001 को बतौर चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद पर तैनात था। उस दिन मैंने **राजेन्द्र पुत्र रामगुलाम** तिलहनी सिरसागंज जिला फिरोजाबाद जिसको उसके चचेरा

भाई सूरजपाल लेकर आया। मैंने चिकित्सीय परीक्षण पहुँचान चिन्ह अंगूठा निशानी लेकर किया था। इसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी-
चोट नं० 1- नीलगू सूजन 10cmX08cm बाँयी अग्र भुजा पर कलाई से 09cm ऊपर नीला, काला रंग लिए हुए मौजूद था। चलने पर दर्द था। चोट को निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी थी।

चोट नं० 2- सूजन 16cmX09cm दाहिनी टाँग पर सामने की तरफ टकने से 07cm ऊपर थी। जिसमें 01X0.5cm का पस वाला मवाद लिये घाव भई था। चोट को निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी।

चोट नं० 3- दर्द की शिकायत पीठ में बतायी गयी। कोई चोट का निशान नहीं था।

मेरी राय में चोट नं० 1 व चोट नं० 2 को निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी थी। चोटें कुंद आले से आना संभव थी। चोटें लगभग तीन दिन पुरानी थी।

मजरूब रामेश्वर पुत्र गिरवर निवासी उपरोक्त का मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। मजरूब का पहचान चिन्ह अंगूठा निशानी लगवाई गयी। मजरूब स्वयं मेडिकल कराने आया था। मजरूब के निम्न चोटें थी।

चोट नं० 1- छिला हुआ घाव सूजन लिये हुये 03cmX03cm दाहिनी कोहिनी पर बाहर की तरफ था। जो स्केब लिये हुये था।

चोट नं० 2- सूजन 07cmX05cm छाती पर दाहिनी तरफ मिडिल से 04cm बाहर थी। चोट निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी।

चोट नं० 3- पस पड़ा हुआ घाव 08cmX01cm गहराई नहीं नापी दाहिनी टाँग पर सामने बीच वाले भआग पर था।

चोट नं० 4- खुरंट पड़ा हुआ छिला हुआ घाव 06cmX01cm बाँयी टाँग पर अन्दर की तरफ बीच वाले भाग पर था।

चोट नं० 5- खरौंचदार नीलगू निशान 04cmX02cm दाहिनी जाँघ पर बाहर की तरफ था। काला नीला रंग लिये हुये था।

मेरी राय में चोट नं० 2 को निगरानी में रखा गया। अन्य चोटें साधारण थी। सभी चोटें कुन्द आले से आना संभव थी।

मजरूब सूरजपाल पुत्र ईश्वरी निवासी उपरोक्त जो स्वयं मेडिकल कराने आया था। इसका पहचान चिन्ह अंगूठा निशानी लेकर मेरे द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें थी।
चोट नं० 1- पस लिये हुए घाव 1.5cmX0.5cm सिर पर दाहिनी तरफ था जो कान से 11cm मीटर ऊपर की तरफ था।

चोट नं० 2- नीलगू निशान 08cmX03cm दाहिने कन्धे पर कोलर बोन से 07cm पीछेकी ओर था। काला-नीला निशान लिये हुये था।

चोट नं० 3- पपड़ी पड़ी हुई खरौंच सूजन लिये हुये 02cmX01cm दाहिनी कोहिनी पर भीतर की तरफ था।

मेरी राय में चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट नं० 2 व चोट नं० 3 कुन्द आले एवं रगड़ से आना संभव थी। चोटें लगभग तीन दिन पुरानी थी।

मजरूब नरेश पुत्र सूरजपाल निवासी उपरोक्त मजरूब को पिता सूरजपाल द्वारा मेडिकल के लिये लाया गया। अंगूठा निशानी पहँचान चिन्ह लगवाया गया तथा मेरे द्वारा मेडिकल किया गया तो निम्न चोटें पायी गयी।

चोट नं० 1- पस पड़ा हुआ घाव 1.5cmX0.5cm सिर की चमड़ी तक गहरा था। जो माथे पर सामने की तरफ नाक से 5.5cm ऊपर की तरफ था।

चोट नं० 2- नीलगू सूजन 02cmX01cm जो कि बाँये हाथ की उंगली मिडिल एवं रिंग फिंगर पर काला-नीला निशान लिये हुये थी।

चोट नं० 3- सूजन 10cmX06cm पीठ पर बाँयी तरफ 09cm स्केपिला से नीचे की ओर थी। चोट निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी।

मेरी राय में चोट नं० 2 व चोट नं० 3 कुन्द आले से आना संभव थी। चोट नं० 3 को निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी। अन्य चोटें साधारण थी। चोटें लगभग तीन दिन पुरानी थी।

मजरूब संदेश पुत्र रमेशचन्द्र निवासी उपरोक्त को मेडिकल हेतु स्वयं आया था। मजरूब का अंगूठा निशानी व पहँचान चिन्ह लेकर मेरे द्वारा मेडिकल किया था। मजरूब के निम्न चोटें पायी गयी।

चोट नं० 1- पपड़ी पड़े हुये खरौंच 02cmX01cm घुटने दाहिने पर सामने की तरफ बाहर की तरफ था।

चोट नं० 2- सूजन 02cmX02cm जो बाँये हाथ की इन्डेक्स फिंगर की बेस पर थी।

चोट नं० 3- नीलगू सूजन 08cmX07cm दाहिने टकने पर सामने की तरफ काला नीला निशान लिये हुये थी।

मेरी राय में सभी चोटें साधारण एवं कुन्द आले से आना संभव थी तथा रगड़ से आना संभव थी।

मजरूब शादीलाल पुत्र रमेश निवासी उपरोक्त स्वयं मेडिकल कराने आया था। मैंने पहुँचान चिन्ह व अंगूठा निशानी लगाकर मेडिकल किया था। निम्न चोटें थी।

चोट नं० 1- पपड़ीदार खरौंच का निशान 02cmX01cm चेहरे पर बाँयी तरफ था, जो आँख से 03cm बाहर की तरफ था।

चोट नं० 2- पस लिये हुये घाव 01cmX01cm जो दाहिने पैर के अंगूटे पर भीतर की तरफ था।

मेरी राय में चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट नं० 1 कुन्द आले एवं रगड़ से आना संभव थी।

मजरूब रमेश पुत्र सूरजपाल निवासी उपरोक्त स्वयं मेडिकल कराने आया था। पहचान चिन्ह व अंगूठा निशानी लगवाकर मैंने मेडिकल किया था। निम्न चोटें पायी गयी।

चोट नं० 1- नीलगू सूजन 08cmX07cm जो बाँये कन्धे के पीछे स्केपुला पर काला-नीला निशान लिये थी चोट को निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी थी।

चोट नं० 2- सूजन 06cmX04cm बाँयी जाँघ पर थी जो बीच वाले हिस्से पर थी। बाहर की तरफ काला-नीला निशान लिये हुये थी।

मेरी राय में चोट नं० 1 निगरानी में रखी गयी। चोट नं० 2 साधारण थी। दोनों चोटें कुन्द आले से आना संभव थी। चोटें तीन दिन पुरानी थी।

पत्रावली पर मौजूद राजेश की मेडिकल रिपोर्ट कागज सं० 6 अ/4, रामेश्वर की मेडिकल रिपोर्ट कागज सं० 6 अ/5, सूरजपाल की मेडिकल रिपोर्ट कागज सं० 6 अ/6, नरेश की मेडिकल रिपोर्ट कागज

सं० 6अ/7, सन्देश की मेडिकल रिपोर्ट कागज सं० 6अ/8, शादीलाल की मेडिकल रिपोर्ट कागज सं० 6अ/9, रमेश की मेडिकल रिपोर्ट कागज सं० 6अ/10 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इन मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क-2, प्रदर्श-3, प्रदर्श क-4, प्रदर्श क-5, प्रदर्श क-6, प्रदर्श क-7, प्रदर्श क-8 अंकित किये गये। मेरे द्वारा दिनांक 29-01-2001 को सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट मजरूब रमेश की तैयार की गयी है। इसके सीने में कोई भी फ्रेक्चर नहीं पाया गया। अतः निगरानी में रखी गयी चोट साधारण समझी जाये। मजरूब नरेश की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट मेरे द्वारा दिनांक 29-01-2001 को तैयार की गयी थी। जिसमें एक्स-रे चोट की रिपोर्ट NAD थी। निगरानी में रखी गयी चोट साधारण प्रकृति की थी। मेरे द्वारा सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट मजरूब राजेन्द्र की दिनांक 29-01-2001 को तैयार की गयी थी। जिसमें बाँयी अग्रभुजा का एक्स-रे एवं दाहिनी टाँग का एक्स-रे किया गया। बाँयी अग्र भुजा एवं दाहिनी टाँग क्रमशः अलना बोन फ्रैक्चर एवं टिबिया बोन फ्रेक्चर पायी गयी। अतः उपरोक्त चोट नं० 1 व चोट नं० 2 जो निगरानी में रखी गयी थी, एक्स-रे के आधार पर गिरीविशेष प्रकृति की समझी जाये। सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट पत्रावली पर मजरूब रामेश्वर की कागज सं० 6अ/1 है। मजरूब नरेश की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट कागज सं० 6अ/2 है। मजरूब राजेन्द्र की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट कागज सं० 6अ/3 है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इन सप्लीमेन्ट्री रिपोर्टों पर प्रदर्श क-10, प्रदर्श क-11 व प्रदर्श क-12 अंकित किये गये।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 6 रुचिता चौधरी विवेचक को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 12-04-2001 को क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद पर तैनात थी। उस दिन मैंने मु०अ०संख्या 37/2001 धारा 147, 323, 325, 504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (X) एस०सी०एस०टी० एक्ट बनाम नवीन आदि की पूर्व किता की गयी विवेचना ग्रहण की थी। उस दिन मैंने पूर्व विवेचक द्वारा किता केस डायरी का अवलोकन किया था। नामित अभियुक्त महीपाल ने न्यायालय

में समर्पण किया था और न्यायालय में ही बयान अभियुक्त महीपाल अंकित किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, छोटेलाल, पिकी, महीपाल, विद्याराम, बबलू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं० 3 अ है, जो मेरे हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करती हूँ, इस आरोप पत्र पर प्रदर्श क-9 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 7 श्रीमती कुसमा देवी को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"दिनांक 21-01-2001 को मैं समय 10.00 बजे सुबह मजदूरी करने खेत पर गयी थी। मेरे सामने राजेन्द्र सिंह, सूरजपाल, रमेश, शादीलाल, नरेश, सन्देश के साथ नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल, विद्याराम के साथ कोई भी मारपीट नहीं की थी। मुल्जिमान उनके घर में घुस कर नहीं आये थे और ना ही घर में घुस कर मारपीट की थी। ना गाली गलौच दी थी। ना जान से मारने की धमकी दी थी। ना ही इन लोगों ने जाति सूचक शब्द कहते हुए इन लोगों को अपमानित किया था। इस घटना के चुटैल सन्देश की मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु 4-5 साल पहले हो चुकी है। मैं धानुक जाति की हूँ। मुल्जिमान ठाकुर जाति के हैं।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 8 देवेश प्रकाश शर्मा को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक वर्ष 1998 से जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर तैनात हूँ। डा० वी०वी० भार्गव मेरे साथ रेडियोलॉजिस्ट तैनात रहे हैं। इनको मैंने लिखते-पढते देखा है। इनके हस्ताक्षर को मैं भलीभाँति पहचानता हूँ। मैं आज मेडिकोलीगल बुक लेकर आया हूँ। क्रम सं० 137 व 138,139, पर रिकार्ड में अंकित है। यह रिकार्ड दिनांक 25-01-2001 से 12-02-2001 तक का है। मजरुब के रिकार्ड पर अंगूठा निशानी भी अंकित है। डाक्टर वी०वी० भार्गव द्वारा मजरुब राजेन्द्र, नरेश, रामेश्वर का एक्स-रे देख-रेख में मेरे द्वारा एक्सरा किया गया था। एक्स-रे रिपोर्ट डा० वी०वी०

भार्गव द्वारा तैयार की गयी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 10 अ/1 लगायत 10 अ/3 एक्स-रे रिपोर्ट है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क-13, प्रदर्श क-14, प्रदर्श क-15 अंकित कियेगये। मैं डाक्टर B.B. भार्गव के लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 9 हैड का० विजय सिंह को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं थाना टूण्डला पर पैरोकार के पद पर तैनात हूँ। मैं सन् 1995 से पुलिस सेवा में प्रदेश के विभिन्न थानों पर तैनात रहा हूँ। इस घटना मु०अ०सं०ख्या 37/2001 धारा 147, 323, 325, 504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (X) एस०सी०एस०टी० एक्ट बनाम नवीन आदि 11 नफर की विवेचना सी०ओ० ओमप्रकाश शर्मा द्वारा की गयी है, उनके द्वारा इस घटना का नक्शा नजरी तैयार किया गया है। सी०ओ० ओम प्रकाश शर्मा के हस्ताक्षर मैं पहचानता हूँ। पत्रावली पर कागज सं० 5 अ नक्शा नजरी सी०ओ० ओम प्रकाश शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। सी०ओ० ओमप्रकाश शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर संलग्न है। मैं नक्शा नजरी पर उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-16 अंकित किया गया। इस घटना की चिक एफ०आई०आर० सी०सी० उमेशचन्द्र मेरे साथ तैनात रहे हैं। इनको लिखते-पढते मैंने देखा है। इनके लेख व हस्ताक्षर को भलिभाँति पहचानता हूँ। सी०सी० उमेशचन्द्र शर्मा द्वारा चिक एफ०आई०आर० कित्ता की गयी है, जो कि पत्रावली पर कागज सं० 3 अ/1 है, उनके लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-17 अंकित किया गया। इसका खुलासा सी०सी० उमेशचन्द्र द्वारा रोजनामचाआम में किया है। जी०डी० पत्रावली पर कागज सं० 12 अ/1 है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जी०डी० पर प्रदर्श क-18 अंकित किया गया।"

9. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि दिनांक 21-01-2001 को समय लगभग 10.00 बजे प्रातः गाँव तेलयानी में वादी

राजेन्द्र सिंह के दरवाजे पर एक राय होकर अभियुक्तगण ने बलवा किया और क्या अभियुक्तगण उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव किया ? क्या अभियुक्तगण ने स्वेच्छया साधारण एवं घोर उपहति लाठी, डण्डों से मारपीट कर कारित किया ? क्या उपरोक्त समय व स्थान पर वादी को गंदी-गंदी गालियां देकर प्रकोपित किया और जान से मारने की धमकी दिया ? क्या अभियुक्तगण ने वादी को जाति सूचक गालियां देकर सार्वजनिक स्थान पर अपमानित किया, यह जानते हुए कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है ?

11. घटना दिनांक 21-01-2001 को प्रातः 10.00 बजे की है। वादी (चोटिल राजेन्द्र सिंह पुत्र रामगुलाम धानुक) ने घटना की रिपोर्ट थाना सिरसागंज में किया, किन्तु रिपोर्ट तत्काल पंजीकृत नहीं की गयी। विवश होकर एक टाइपशुदा प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को प्रेषित किया गया, जो पत्रावली पर प्रदर्श क-1 है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 23-01-2021 है जिस पर तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन दिनांक 31-01-2001 को करते हुए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। जिसके आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-15 दिनांक 02-02-2001 को सांयकाल में पंजीकृत की गयी है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि 12 दिनों के पश्चात अभियोग पंजीकृत कराये जाने में अनुचित विलम्ब कारित किया गया है, जिसका कोई यथोचित स्पष्टिकरण नहीं है। दूसरी ओर अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादी की ओर से तत्काल सूचना सम्बन्धित थाने को दी गयी, किन्तु रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की गयी और विवश होकर वादी द्वारा डाक के माध्यम से टाइपशुदा प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया और अन्ततः उच्च अधिकारियों के आदेश से अभियोग पंजीकृत किया गया। निसंदेह वादी की ओर से कोई अनुचित विलम्ब कारित नहीं किया गया, क्योंकि वादी तत्काल सम्बन्धित थाने गया, जहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और बिना कोई विलम्ब कारित किये प्रार्थना पत्र दिनांक 23-01-2001 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित करते हुए प्रेषित किया गया। उक्त तथ्य यह इंगित करते हैं कि वादी की ओर से हर संभव

प्रयास प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में किया गया। कथित विलम्ब कदापि अनुचित विलम्ब की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

घटना के सम्बन्ध में वादी पी०डब्लू० 1 राजेन्द्र सिंह को परीक्षित किया गया है। जो स्वयं चोटहिल भी हैं। वादी पी०डब्लू० 1 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामगुलाम ने अपनी मुख्य परीक्षा में न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक कथन किया है कि घटना दिनांक 21-01-2001 की सुबह करीब 10 बजे की है। प्रधान गया प्रसाद मुल्जिमान नवीन, मुन्नालाल, छोटेलाल, बबलू, मुन्नालाल, कैलाश, पिकी, राजू, उदयवीर, महीपाल, विद्याराम ने प्रार्थी के प्लाट में जबरन खड़जा बनाने की कोशिश की तो मैंने मना किया। इसी बात पर मुल्जिमान सभी लाठी, डण्डा, फावड़ा आदि लेकर आये। माँ-बहन की गालियां दी और मुझे मारापीटा। मुन्नालाल पुत्र भीकम सिंह ठाकुर ने फावड़े का बेट मेरे सीधे पैर में मारा जिससे मेरा पैर टूट गया। मेरी पीठ में भी चोटें आयी थी। नवीन ने मेरी बांह में फावड़े का बंट मारा था जिससे मेरी बाँह टूट गयी थी। मेरी चीख-पुकार पर सूरजपाल, नरेश, संदेश, शादीलाल, रमेश और रामेश्वर आदि आ गये थे, जिन्होंने हमको बचाया तो मुल्जिमान उनको भी मारापीटा था, जिससे उनके भी चोटें आयी थी। जाते समय मुल्जिमान ने धमकी दी थी कि साले धनुकाओं आज तो बच गये हो अबकी जान से मार देंगे। वादी पी०डब्लू० 1 घटना की रिपोर्ट करने मैं थाना सिरसागंज गया था। मुल्जिमान की दबंगई के कारण रिपोर्ट नहीं लिखी और कोरे कागज पर मेरे दस्तखत करा लिये थे। इसके बाद मैं रिपोर्ट टाइप कराकर एस०पी० साहब को डाक से भेजी थी। अग्रेतर कहा कि रिपोर्ट के साथ सभी लोगों जो चुटैल थे की डाक्टरी भी भेजी थी। मेरी जाति धानुक है। मुल्जिमान ठाकुर जाति के हैं। एक मुल्जिम मुन्नालाल पुत्र बालकराम तेली जाति का है। यह प्लाट मेरे व मेरे भाई लखपति के नाम था। इससे पहले यह प्लाट मेरे पिता के नाम में था। लखपति ने अपना हिस्सा मेरे बहनोई जयदयाल को दे दिया है। पी०डब्लू० 1 ने तहरीर पर प्रदर्श क-1 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया और कहा कि यह तहरीर 23-01-2001 को एस०पी० साहब को भेजी थी। प्रति-परीक्षा में कहा कि रिपोर्ट प्रदर्श क-1 मैंने ही लिखायी थी। रिपोर्ट में मैंने यह लिखा था कि

"प्रार्थी के गाँव के नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू, उदयवीर, मुन्नालाल, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल, विद्याराम कुल 11 लोग लाठी, डण्डों से लैस होकर एक राय मशविरा करके मुझे गाली-गलौज करते हुए मेरे घर घुस आये और मारपीट करने लगे।" मेरे प्लाट में झोपड़ी पड़ी थी उसी में मारपीट की थी। मेरे मकान के पूरब में कच्चा रास्ता है। मकान जिसे झोपड़ी कहते हैं उसके पश्चिम में खड़ंजा है। मेरे मकान के उत्तर में रमेश का प्लाट है। मकान के दक्षिण में दयाल सिंह का मकान है।----- मेरा दूसरा मकान गाँव के बीच में है, जिसकी चौहद्दी अलग है। मेरे गाँव के दूसरे मकान के पश्चिम में मेरे भाई लखपति सिंह का घर है। पूरब में कुआँ और उत्तर में रेलवे लाइन और दक्षिण में मेरे भाई लखपति सिंह की गैलरी है। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि इस घटना के समय गया प्रसाद प्रधान थे। जो मेरी बिरादरी कठेरिया हैं। उससे पहले सूरजपाल प्रधान थे जो कठेरिया बिरादरी के हैं। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदर्श क-1 में यह बात नहीं लिखी है कि प्रधान गया प्रसाद ने खड़ंजा बनवाने के लिए ईटें डलवाई। पुनः कहा कि घटना के समय गया प्रसाद प्रधान ने रास्ता बनवाने के लिए मौके पर कोई ईटें नहीं डलवाई थी। गाँव में ईटें संदेश, सूरजा देवी के मकान के पास गाँव के बाहर पूरब में डलवाई थी। यह ईटें प्रधान ने कालोनी बनवाने के लिए डलवाई थी। किस खसरा नम्बर में पट्टा कटा था उसका ध्यान नहीं है। इस खसरा नम्बर में प्रधान ने ईटें नहीं डलवाई। अग्रेतर कहा कि इस घटना से पहले सूरजपाल गाँव के प्रधान थे। भाईचारे के नाते भाई लगते थे।----- जयदयाल मेरे बहनोई लगते हैं। घटना स्थल वाली जमीन में जयदयाल का मकान व प्लाट था। जयदयाल के मकान के पास पट्टे वाले प्लाट में प्रधान ने ईटें नहीं डलवाई थी।----- अग्रेतर कहा कि मैं अपने पिता के नाम का पट्टा दाखिल कर सकता हूँ। करीब 25 साल पहले पट्टा हुआ था। सन् याद नहीं है। पट्टा करते समय जमीन चारागाह की थी। मैं नहीं बता सकता कि इस जमीन का खसरा नम्बर 158 था। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये इस सुझाव को गलत बताया है कि चारागाह की जमीन खसरा नं० 158 पर पूर्व प्रधान से मिलकर जबरन कब्जा करना चाहते थे। इस सुझाव को भी गलत बताया कि चारागाह

की जमीन पर रास्ता था। इस सुझाव को भी गलत बताया कि वादी इस रास्ते पर कब्जा करना चाहता था और इस सुझाव को भी गलत बताया कि इस जमीन पर मैं, मेरे बहनोई जयदयाल पूर्व प्रधान का लड़का रमेश रास्ते पर खड़जा नहीं बनने देना चाहते थे।----- इस पट्टे वाली जमीन में रमेश पुत्र सूरजपाल के प्लाट आमने-सामने नहीं हैं। अग्रेतर कहा कि यह मारपीट का घटना स्थल जयदयाल के मकान के पास है। इस सुझाव को साक्षी ने गलत बताया कि प्रधान गया प्रसाद ने जयदयाल के मकान के पास ईटें पड़वाई हों। अग्रेतर कहा कि जयदयाल प्लाट के पूर्व तलाब पश्चिम में देवी का मंदिर उत्तर में रमेश का प्लाट दक्षिण में वेदपाल सिंह का प्लाट है। कच्चा रास्ता जयदयाल के पूर्व में है। पश्चिम में पक्का खड़जा है। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मौके पर झगड़े में ईटें फेकी गयी थी। हमारे ऊपर इन 11 लोगों ने ईटें फेकी थी। हम भागे नहीं वही पर खड़े रहे। पैर टूट गया था। भीड़ थी, उनको भी चोटें आई थी। ईटें जब फेकी गयी तब और लोग खड़े भागे नहीं थे। भीड़ के लोग 8-10 मिनट करीब खड़े रहे, इसके बाद गये थे। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना के चौथे दिन डाक्टरी मुआयना कराया था। एस०पी० साहब से मिलने के बाद डाक्टरी करायी थी। अग्रेतर कहा कि रिपोर्ट टाइप कराने मैं स्वयं गया था। रिपोर्ट दबरई में आकर टाइप करायी थी। मैंने अपने हाथ से रिपोर्ट लिखवाकर दी, तब रिपोर्ट टाइप हुई थी। हाथ से लिखी वाली रिपोर्ट एस०पी० साहब को दी थी। रिपोर्ट के साथ डाक्टरी मुआयना नहीं लगाया था। रिपोर्ट घटना के चौथे दिन दबरई आकर टाइप करायी थी। टाइप वाली रिपोर्ट भी एस०पी० साहब को दे दी थी। टाइप वाली रिपोर्ट प्रदर्श क-1 दिनांक 23-01-2001 को करायी थी। इस रिपोर्ट के साथ मैंने सात डाक्टरी मुआयने व पूरक रिपोर्ट और एक्स-रे रिपोर्ट कुल 15 संलग्नक लगाना लिखा है। 15 संलग्नक रिपोर्ट के साथ लगाये। एक्स-रे रिपोर्ट संलग्न नहीं किया था। मात्र एक्स-रे रिपोर्ट भई इस रिपोर्ट के साथ लगायी थी। जो रिपोर्ट के साथ एक्स-रे लगाया था वह फाइल पर तीन महीने पहले दाखिल किया था। 23-01-2001 को रजिस्ट्री भेजी जो प्रदर्श क-1 है। प्रदर्श क-1 में डाक्टरी मुआयना व एक्स-रे रिपोर्ट गलत लिखा है। अग्रेतर कहा कि घटना के समय गया प्रसाद प्रधान थे। घटना से पहले

सूरजपाल प्रधान थे। गया प्रसाद पूर्व प्रधान ने खड़ंजा बिछवाने के लिए ईटें मंगवाई या ईटें चारागाह की जमीन पर रास्ता बनवाने के लिए नहीं मंगवाई गई थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरा पट्टा किस खसरा नम्बर की जमीन पर था। खसरा पत्रावली पर दाखिल नहीं है। दरोगा जी को पट्टा मैंने नहीं लिखाया था। क्योंकि दरोगा जी मेरे पास नहीं आये थे। सी०ओ० साहब आये थे।----- अग्रेतर कहा कि सी०ओ० साहब घटना स्थल का मुआयना किया था। मुआयना मैंने कराया था। मैंने घटना स्थल सी०ओ० साहब को पूर्व प्रधान सूरजपाल और जयदयाल के बीच खड़ंजा पर नहीं बताया था। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये इस सुझाव से इंकार किया कि जमीन पर बिना पट्टे को घेरने के लिए झूठा मुकदमा किया हो। इस बात को गलत बताया कि सी०ओ० साहब ने मकान और प्लाट न दिखाया हो। इसकी कोई वजह नहीं बता सकता कि सी०ओ० साहब ने घटना स्थल पर मेरे मकान व प्लाट क्यों नहीं दिखाया है। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि जयदयाल मेरे बहनोई लगते हैं। जयदयाल इस घटना में नहीं थे। यह कहना गलत है कि यह लड़ाई मेरे बहनोई जयदयाल और प्रधान के परिवार के बीच की हो। साक्षी ने इस बात को गलत बताया कि उख्त रंजिश के कारण मुल्जिमान के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी। अन्य सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है।

अभियोजन की ओर से साक्षी सं० 2 के रूप में सूरजपाल पुत्र ईश्वरी को परीक्षित किया गया, जो स्वयं चोटहिल है। पी०डब्लू० 2 सूरजपाल ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि घटना आज से लगभग 14 साल पहले की बात है। सुबह 10.00 बजे का समय था। राजेन्द्र सिंह मेरे भतीजे हैं। राजेन्द्र को मुन्नालाल, नवीन, कैलाश, राजू, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल और विद्याराम एक राय होकर पत्थर से मारपीट कर रहे थे। मुल्जिमान जबरदस्ती खड़ंजा बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भतीजे के मना करने पर उन लोगों ने मारापीटा। शोर पर मैं, नरेश, संदेश, शादीलाल, रमेश, रामेश्वर मौके पर पहुँच गये थे। इन लोगों ने हम लोगों के साथ भी मारपीट की थी। जिससे मुझे भी चोटें आयी थी। राजेन्द्र के पैर पर फावड़े के बेट से मुन्नालाल ने वार किया था, जिससे उसका पैर टूट

गया था। मेरा डाक्टरी मुआयना हुआ था। चोटें मेरे अलावा राजेन्द्र सिंह, रामेश्वर, संदेश, नरेश, शादीलाल आदि लोगों के चोटें आयी थी। मेरा डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ था। मेरे सीधे कान के ऊपर सिर पर चोटें आयी थी तथा कंधे पर चोटें आयी थी। प्रति-परीक्षा में कथन किया कि घटना के दिनों में कौन प्रधान था मुझे नहीं मालूम है। राजेन्द्र उस समय प्रधान नहीं थे। मैं भी प्रधान नहीं था। राजेन्द्र की पट्टे की जमीन पर मुल्जिमान जबरन खड़ंगा लगा रहे थे। ईटें नहीं आ पाई थी। खोदा-खादी कर रहे थे।----- यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ईटे लगा रहे थे। मुझे नहीं मालूम ईटें कहां से लाये थे। मैं प्रधान रहा लेकिन यह ध्यान नहीं है कि मैं घटना से पहले प्रधान रहा या बाद में। 95-96 में प्रधान रहा। मुझे नहीं मालूम राजेन्द्र का पट्टा किस गाटा संख्या में था। मैंने पट्टा राजेन्द्र के हाथ में देखा था। उसने फाइल में जमा भी कर दिया था। अभियोजन का पट्टा पत्रावली पर नहीं है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूँ। अभियुक्त का कहना है कि यदि जमीन चारागार की है तो लोगों को कब्जा करने से रोक देना चाहिए। उस समय के प्रधान ने विवादित भूमि पर ईट, खड़ेंजे के लिए मंगाई थी। मुझे याद नहीं है कि घटना स्थल के पूरब में महेश और रमेश के खाली पट्टे की जमीन है, पश्चिम में मकान है, उसके बाद मंदिर है। मौके पर घटना स्थल के पश्चिम में होली भी जलती है। उत्तर में खाली प्लाट पड़े हैं। रमेश, संदेश आदि लोगों के प्लाट हैं। दक्षिण में हरिजनों के मकान बने खड़े हैं। पुलिस आ गयी थी और ले गयी थी और पुलिस ने ही डाक्टरी मुआयना कराया था। यह कहना गलत है कि मैंने फर्जी डाक्टरी मुआयना सीधे कराया हो। पुलिस ने डाक्टरी मुआयना न कराया हो। घटना के चौथे दिन 24 तारीख को डाक्टरी मुआयना हुआ था। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा बतायी गयी चौहद्दी में मेरे साथ कोई घटना या मारपीट न हुई हो। यह भी कहना गलत है कि हमने फर्जी घटना स्थल गढ़कर बनाया हो। मैं एक बार प्रधान रहा हूँ। मुझे नहीं ध्यान कि मैंने मुल्जिमान उदयवीर आदि इस घटना के मुल्जिमान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया हो। मुझे नहीं ध्यान कि इस घटना से पहले मैंने इस घटना के मुल्जिम उदयवीर सिंह, उसके भाई ओमप्रकाश, जगदीश व एक अन्य जगदीश पुत्र श्रीराम

के खिलाफ भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि एस०टी० नं० 11/1970 न्यायालय ए०एस०जे० मैनपुरी के यहाँ गवाही दी। गवाही देने के बाद यह मुकदमा छूट गया हो। मेरी इनसे मुकदमेंबाजी थी। कोई रंजिश न तो पहले थी और न अब है। यह कहना गलत है कि मैंने इस रंजिश के कारण इन लोगों को झूठे मुकदमें में फंसाया हो। राजेन्द्र मेरे गाँव के मेरी जाति के हैं। साक्षी ने अन्य सुझाव से साफ तौर पर इंकार किया है।

अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 3 के रूप में रमेश कुमार पुत्र सूरजपाल को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डब्लू० 3 रमेश ने शपथपूर्वक कथन में कहा कि घटना आज से लगभग साढ़े चौदह साल पहले सुबह 10.00 बजे की है। उस दिन राजेन्द्र सिंह के प्लाट में अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल व विद्याराम खड़ंजा बनाने की कोशिश कर रहे थे। राजेन्द्र सिंह के मना करने पर इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर मौके पर मैं, नरेश, संदेश, शादीलाल, सूरजपाल, रामेश्वर, आदि लोग पहुँच गये थे। हम लोगों ने मना किया तो हम लोगों से भी मारपीट करने लगे। हम लोगों को डण्डा व ईट पत्थर से मारा जिससे हमारे सिर, हाथ व पैर में चोटें आयी थी। मेरी चोटों का डाक्टरी मुआयना। राजेन्द्र के पैर में मुन्नालाल ने फावड़े की बेंट से वार किया था जिसेस उसका पैर टूट गया था तथा उन लोगों ने उन लोगों से कहा साले धनुको तुम्हे इस गाँव में नहीं रहने देंगे तथा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट गाँव के प्लाट के पास हुई थी। प्रति-परीक्षा में कहा कि इस मुकदमें के वादी राजेन्द्र मेरे चाचा लगते हैं। इस घटना में मेरे पिता जी के अलावा और लोग भी घायल हुए थे। इस घटना के समय ग्राम के प्रधान गया प्रसाद थे। गया प्रसाद भी हमारी बिरादरी कठेरिया धानुक है। गया प्रसाद से पहले मेरे पिता सूरजपाल प्रधान थे। मेरे पिता जी प्रधानी के चुनाव में गया प्रसाद व अन्य प्रतिभागियों के बीच टक्कर हुई थी। गया प्रसाद जीत गये थे। मुझे यह नहीं मालूम कि खड़ंजा बनाने के लिए रास्ते हेतु प्रधान (तत्कालीन) ईंटें मगाँयी थी। मुझे यह नहीं मालूम कि किसने ईंटें मगाँयी थी। लेकिन मौके पर एक ट्राली ईंटें थी, जो उसी दिन उतरी थी।

अग्रेतर कहा कि घटना स्थल पर चारागाह की जमीन है या नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे यह भी मालूम नहीं कि घटना स्थल की जमीन सरकारी कागजातों में चारागाह की जमीन घोषित है। मुझे नहीं मालूम कि चारागाह की जमीन में सरकारी योजना के अनुसार पट्टा नहीं हो सकता। मुझे वेदपाल प्रधान ने इस जमीन में पट्टे काटे थे। इस मामले में जमीन के पट्टे पत्रावली पर या जाँच में दाखिल नहीं किये। अब दाखिल कर सकते हैं। खुद कहा पट्टा दाखिल नहीं कर सकता। अग्रेतर कहा कि यह कहना गलत है कि मेरे पिता सूरजपाल और मेरे चाचा राजेन्द्र प्रसाद चारागाह की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना के चार दिन बाद डाक्टरी करायी थी। चार दिनों तक डाक्टरों के पास आते-जाते रहे। इसलिए डाक्टरी नहीं करायी। यह कहना गलत है कि घटना के समय हमको कोई चोट नहीं थी। इसलिए डाक्टरी नहीं करायी। झूठा मुकदमा बनाने के लिए तीन दिन के अन्दर झूठी डाक्टरी करायी हो। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये इस सूझाव से इंकार किया कि रंजिश के कारण यह झूठा मुकदमा लिखाया गया हो।

पी०डब्लू० 4 के रूप में अभियोजन द्वारा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी शादीलाल पुत्र रामेश्वर को परीक्षित किया गया। पी०डब्लू० 4 ने कहा कि मैं मजदूरी करता हूँ। दिनांक 21-01-2001 को मैं सुबह 10.00 बजे मजदूरी करने के लिये खेत पर गया था। मेरे साथ नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम तेली, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल, विद्याराम ने कोई भी मारपीट नहीं की थी। मैं जब खेत पर जा रहा था, रास्ते में मुझे ठोकर लग गयी थी। मैं गिर गया था। गिरने से मेरे चोटें आई थी। मेरे साथ उपरोक्त मुल्जिमानों ने कोई भी गाली-गलौच नहीं की। जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। ना ही मुझे इन लोगों ने जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में कराया था। अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन को प्रति-परीक्षा करने की अनुमति दी गयी। प्रति-परीक्षा में भी कहा कि इस घटना के सम्बन्ध में किसी पुलिस अधिकारी ने कोई

बयान नहीं लिया। गवाह ने धारा 161 द०प्र०सं० के बयान को सुनकर कहा कि यह बयान पुलिस अधिकारी ने कैसे लिख दिया इसका कोई कारण नहीं बता सकता। न्यायालय द्वारा भी इस साक्षी से जिरह की गयी। न्यायालय द्वारा की गयी प्रति-परीक्षा में कहा कि यह मुकदमा किनके खिलाफ चल रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं उनका नाम जानता हूँ। वादी को भी जानता हूँ। साक्षी ने घटना स्थल पर होने से इंकार किया है।

इस घटना के अंतिम विवेचक पी०डब्लू० 6 रुचिता चौधरी तत्काली क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद थी। उनके द्वारा मु०अ०संख्या 37/2001, धारा 147, 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०एस०टी० एक्ट बनाम नवीन आदि की विवेचना पूर्व विवेचक से ग्रहण की और पर्चा नं० 9 उनके द्वारा कित्ता किया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रदर्शक-9 प्रेषित किया गया। उनके द्वारा कोई अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया।

पी०डब्लू० 7 के रूप में अभियोजन साक्षी श्रीमती कुसमा देवी पत्नी ज्ञान सिंह को परीक्षित किया गया। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि दिनांक 21-01-2001 को सुबह 10.00 बजे मजदूरी करने गयी थी। मेरे सामने राजेन्द्र सिंह, सूरजपाल, रमेश, शादीलाल, नरेश, सन्देश के साथ नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल, विद्याराम के साथ कोई भी मारपीट नहीं की थी। मुल्जिमान उनके घर में घुस कर नहीं आये थे और ना ही घर में घुस कर मारपीट की थी। ना गाली गलौच दी थी। ना जान से मारने की धमकी दी थी। ना ही इन लोगों ने जाति सूचक शब्द कहते हुए इन लोगों को अपमानित किया था। अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और न्यायालय और अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में साक्षी ने किसी भी घटनाक्रम के होने से इंकार किया है। विवेचनाधिकारी को कोई बयान देने से साफ तौर पर इंकार किया है।

पी०डब्लू० 9 के रूप में हेड कान्सटेबल विजय सिंह थाना पौरोकार को परीक्षित किया गया। उनके साक्ष्य में आया है कि वह इस

मामले की विवेचक श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा की गयी है। ओम प्रकाश शर्मा के हस्ताक्षर साक्षी भलिभांति अवगत है। श्री ओम प्रकाश शर्मा प्रथम विवेचक की मृत्यु हो चुकी है। नक्शा नजरी पर **प्रदर्शक-16** अंकित किया गया है। पी०डब्लू० 9 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक को लिखते-पढते नहीं देखा किन्तु विवेचक उनके साथ लोहामण्डी थाना क्षेत्र आगरा में रहें है।

चोटहिलों को मेडिकल परीक्षण दिनांक 24-01-2001 को डा० दिलीप कुमार पी०डब्लू० 5 द्वारा किया गया। चोटहिल राजेन्द्र पुत्र रामगुलाम की अघात रिपोर्ट प्रदर्शक-2 है। डा० दिलीप कुमार की परीक्षण रिपोर्ट में राजेन्द्र को नीलगू सूजन, सूजन पायी गयी। दर्द की भी शिकायत थी। चोट नं० 1 व 2 निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी। चोट कुन्द आले से आना संभव थी। चोट लगभग 3 तीन पुरानी थी। चोटहिल रामेश्वर की अघात आख्या प्रदर्शक-3 है। रामेश्वर को कुल पाँच चोटें आई थी, जिसमें चोट नं० 1 छिला हुआ घाव सूजन लिए हुए। चोट नं० 2 सूजन, चोट नं० 3 पस पड़ा हुआ घाव, चोट नं० 4 खुरन्ट पड़ा हुआ छिला हुआ घाव, चोट नं० 5 खरौंचदार नीलगू निशान पाये गये। डा० दिलीप कुमार पी०डब्लू० 5 की राय में चोट नं० 2 को निगतरानी में रखा गया। अन्य चोटें कुन्द आले से आने संभव थी तथा साधारण प्रकृति की थी। चोटहिल सूरजपाल की मेडिकोलीगल रिपोर्ट प्रदर्शक-4 है। सूरजपाल को कुल तीन चोटें क्रमशः चोट नं० 1 पस लिए हुए घाव 1.5cmX0.5cm सिर पर दाहिनी तरफ थी। चोट नं० 2 नीलगू निशान 08cmX03cm दाहिने कन्धे पर कालरबोन के पीछे की ओर थी। काला-नीला निशान लिए हुए थी। चोट नं० 3 पपड़ी पड़ी हुई खरौंच सूजन लिए हुये 02cmX01cm दाहिनी कोहिनी पर भीतर की तरफ थी। चिकित्सक की राय में सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट नं० 2 व 3 कुन्द आले व रगड़ से आने संभव थी। चोटें लगभग तीन दिवस पुरानी थी। चोटहिल नरेश की मेडिकोलीगल रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्शक-5 है। चोट नं० 1- पस पड़ा हुआ घाव 1.5cmX0.5cm सिर की चमड़ी तक गहरा था। जो माथे पर सामने की तरफ नाक से 5.5cm ऊपर की तरफ था। चोट नं० 2- नीलगू सूजन 02cmX01cm जो कि बाँये हाथ की उंगली मिडिल एवं रिंग फिंगर पर काला-नीला

निशान लिये हुये थी। चोट नं० 3- सूजन 10cmX06cm पीठ पर बाँयी तरफ 09cm स्केपिला से नीचे की ओर थी। चोट निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी। चिकित्सक की राय में चोट नं० 2 व चोट नं० 3 कुन्द आले से आना संभव थी। चोट नं० 3 को निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी। अन्य चोटें साधारण थी। चोटें लगभग तीन दिन पुरानी थी। चोटहिल संदेश की मेडिकोलीगल रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श क-6 है। उक्त चोटहिल के परीक्षण में कुल तीन चोटें पायी गयी। चोट नं० 1- पपड़ी पड़े हुये खरौंच 02cmX01cm घुटने दाहिने पर सामने की तरफ बाहर की तरफ था। चोट नं० 2- सूजन 02cmX02cm जो बाँये हाथ की इन्डेक्स फिंगर की बेस पर थी। चोट नं० 3- नीलगू सूजन 08cmX07cm दाहिने टकने पर सामने की तरफ काला नीला निशान लिये हुये थी। चिकित्सक की राय में सभी चोटें साधारण एवं कुन्द आले से आना संभव थी तथा रगड़ से आना संभव थी। चोटहिल शादीलाल के परीक्षण के दौरान कुल दो चोटें पाई गई। चोट नं० 1- पपड़ीदार खरौंच का निशान 02cmX01cm चेहरे पर बाँयी तरफ था, जो आँख से 03cm बाहर की तरफ था। चोट नं० 2- पस लिये हुये घाव 01cmX01cm जो दाहिने पैर के अंगूटे पर भीतर की तरफ था। चिकित्सक की राय में चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट नं० 1 कुन्द आले एवं रगड़ से आना संभव थी। चोटहिल रमेश के मेडिकल परीक्षण के दौरान कुल दो चोटें पाई गयी। चोट नं० 1- नीलगू सूजन 08cmX07cm जो बाँये कन्धे के पीछे स्केपुला पर काला-नीला निशान लिये थी चोट को निगरानी में रखकर एक्स-रे की सलाह दी गयी थी। चोट नं० 2- सूजन 06cmX04cm बाँयी जाँघ पर थी जो बीच वाले हिस्से पर थी। बाहर की तरफ काला-नीला निशान लिये हुये थी। चिकित्सक की राय में चोट नं० 1 निगरानी में रखी गयी। चोट नं० 2 साधारण थी। दोनों चोटें कुन्द आले से आना संभव थी। चोटें तीन दिन पुरानी थी। दिनांक 29-01-2001 को पूरक रिपोर्ट चोटहिल रमेश की तैयार की गयी। इसके सीने में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। निगरानी में रखी गयी चोट साधारण समझी गयी। चोटहिल नरेश की पूरक रिपोर्ट पी०डब्लू० 5 डा० दिलीप कुमार द्वारा दिनांक 29-01-2001 को तैयार की गयी। एक्स-रे चेस्ट की रिपोर्ट सामान्य थी।

निगरानी में रखी गयी चोट साधारण प्रकृति की थी। चोटहिल राजेन्द्र की पूरक रिपोर्ट दिनांक 29-01-2001 को तैयार की गयी। बाँयी अग्रभुजा एवं दाहिनी टाँग क्रमशः अलना बोन फ्रेक्चर एवं टिबिया बोन फ्रेक्चर पायी गयी। एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर चोटें गंभीर प्रकृति की थी। चोटहिल रामेश्वर की पूरक रिपोर्ट पी०डब्लू० 5 के हस्तलेख में है। प्रति-परीक्षा में आया है कि चोटहिल राजेन्द्र की चोट नं० 1 अगर पक्रे खड़जे पर गिरने से आ सकती है। चोट नं० 2 भी खड़जे पर गिरने से आना संभव है। चोटहिल रामेश्वर व नरेश की चोटें जो निगरानी में रखी गयी एक्स-रे के उपरान्त साधारण प्रकृति की पाई गयी। खड़जे पर गिरने से आना संभव है। चोटहिल सूरजपाल की चोटें पीठ के बल गिरने से आना संभव थी। अन्य चोटहिलों की चोटें साधारण प्रकृति की थी। पी०डब्लू० 8 देवेश प्रकाश शर्मा एक्स-रे टेक्निशियन को परीक्षित कराया गया। उनके साक्ष्य के अनुसार डा० वी०वी० भार्गव द्वारा एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की गयी। उनको लिखते-पढते देखा है। उनके लेख एवं हस्ताक्षर से भलीभाँति अवगत हूँ। डा० वी०वी० भार्गव द्वारा चोटहिलों राजेन्द्र, नरेश, रामेश्वर का एक्स-रे उनकी देख रेख में तैयार किया गया था। प्रथम विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ओमप्रकाश शर्मा की मृत्यु को जाने के कारण उनके स्थान पर हेड का० विजय सिंह को परीक्षित किया गया। जिनके द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क-16, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-17, जी०डी० प्रदर्श क-18 को साबित किया गया है। पत्रावली पर घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-16 है, जिसे अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 9 द्वारा साबित किया गया है। नक्शा नजरी में ईट के निशान से ईटों के चट्टे को दर्शाया गया है। खड़जा को भी यथा स्थान दर्शाया गया है। अक्षर A से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ वादी और अन्य चोटहिलों को ईट फेंककर घायल किया गया। खड़जे के अतिरिक्त रमेश पुत्र सूरजपाल का प्लाट दक्षिण में जयदयाल पुत्र झिंगुरी सिंह का मकान, पूरब में खाली प्लाट और पश्चिम में खड़जे को दर्शाया गया है।

उपरिवर्णित साक्ष्यों के अवलोकन एवं विश्वलेषण से यह तथ्य सपष्ट है कि घटना दिनांक 21-01-2001 समय 10.00 बजे प्रातः स्थान वादी पेश दरवाजा ग्राम तेलयानी है। घटना के सम्बन्ध में वादी

राजेन्द्र जो स्वयं चोटहिल है ने घटना के दिन ही थाने पर जाकर सूचना दी थी, किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। सादे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कराये गये। रिपोर्ट न लिखे जाने पर वादी ने टाइपशुदा प्रार्थना पत्र दिनांक 23-01-2001 को पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित करते हुए डाक के माध्यम से प्रेषित किया, जो पत्रावली पर प्रदर्शक-1 है। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन अपर पुलिस उपाधीक्षक द्वारा आदेश दिनांकित 31-01-2001 पारित करते हुए अभियोग पंजीकृत करने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 37/2001 कुल 11 अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 02-02-2001 को 22.30 बजे लगभग 12 दिन के पश्चात पंजीकृत की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने में कथित रूप से विलम्ब वादी की ओर से नहीं किया गया है, अपितु स्थानीय पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट न पंजीकृत किये जाने के कारण वादी राजेन्द्र सिंह विवश होकर टाइपशुदा प्रार्थना पत्र डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रदर्शक-1 दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कोई अनुचित विलम्ब नहीं कारित किया गया है। घटना के दिन अर्थात् 21-01-2001 को प्रातः 10.00 बजे तत्कालीन ग्राम प्रधान गया प्रसाद ने खड़जा बनवाने के लिए ईंटें डलवाई थी। अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल एवं विद्याराम ने वादी/चोटहिल राजेन्द्र सिंह के प्लाट में बल पूर्वक खड़जा बनाने का प्रयास कर रहे थे। वादी ने ऐसा करने से मना किया। अभियुक्तगण ने एक राय होकर घटनाक्रम करने के आशय से विधि विरुद्ध जमाव करते हुए लाठी, डण्डा और फावड़ा आदि से मारा और माँ बहन की गालियां दी। मुन्नालाल पुत्र भीकम सिंह ने फावड़े के बेट से वादी के पैर में मारा और पीठ में भी चोटें आईं। नवीन ने टेढी बाह में मारा। चीख-पुकार सुनकर चक्षुदर्शी साक्षीगण सूरजपाल, नरेश, संदेश, शादीलाल, रमेश और रामेश्वर आदि लोग आ गये, जिन्होंने बचाया। अभियुक्तगण ने उनको भी मारापीटा और उनको भी चोटें आईं। जाते समय धमकी दी कि साले ' धानुकों ' आज तो बच गये हो अगली बार जान से मार देंगे। वादी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि

टाइपशुदा प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 के साथ चोटहिलों की रिपोर्ट नहीं भेजी गयी थी। प्रदर्श क-1 टाइपशुदा तहरीर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र पर कुल 15 संलग्न है, जिसमें सात डाक्टरी मुआयना की छायाप्रतियां, पूरक रिपोर्ट और एक्स-रे आदि भेजे गये, किन्तु तहरीर के साथ उक्त 15 संलग्नक नहीं पाये गये। घटना स्थल वादी के मकान का पेश दरवाजा है। घटना के समय गया प्रसाद ग्राम के प्रधान थे और वादी के बिरादरी के थे। उससे पहले सूरजपाल प्रधान थे। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि तहरीर में यह बात नहीं लिखायी गयी है कि गया प्रसाद ने खड़ंजा लगवाने के लिए कोई ईट डलवाई हो। तहरीर में घटनाक्रम का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रत्येक तथ्य का समावेश किया जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु आवश्यक बातों का समावेश किया जाना आवश्यक है। वादी ने अपनी तहरीर में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसके प्लाट में जबरन खड़ंजा बनाने का प्रयास किया जा रहा था और अभियुक्तगण ने मारपीट की, गाली-गलौज की तथा जाति सूचक गालियां दी। यद्यपि की वादी पी०डब्लू० 1 ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि रास्ता बनाने के लिए मौके पर कोई ईटें नहीं थी, किन्तु साथ ही यह भी कहा कि ईटें संदेश और सूरजादेवी के मकान के पास गाँव के बाहर डलवाई गयीं। जिस प्लाट पर से खड़ंजा लगाने का उपक्रम किया जा रहा था। वह वादी के कथनानुसार पट्टे की जमीन है, यद्यपि की पट्टे का कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। अभियोजन के लिए यह कदापि आवश्यक नहीं है कि उक्त पट्टे के अभिलेखों को साबित करता। यहाँ पर झगड़े का कारण मात्र खड़ंजा बिछाना था, जिसको वादी द्वारा विरोध किया गया था। निसंदेह जयदयाल के मकान के पास ईटें नहीं पड़वाई गयी थी। जयदयाल वादी के बहनोई लगते हैं। पी०डब्लू० 1 ने अपनी प्रति-परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा कि घटना स्थल वाली जमीन में जयदयाल के मकान व प्लाट थे। बचाव पक्ष की ओर से प्रति-परीक्षा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि चारागाह की जमीन पर पूर्व प्रधान से मिलकर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसको वादी पी०डब्लू० 1 ने गलत होना बताया। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया कि चारागाह की जमीन पर कोई रास्ता रहा हो। बचाव पक्ष की ओर से दिये

गये सुझाव साक्षी ने साफ तौर पर इंकार किया है कि उक्त जमीन पर उसके बहनोई जयदयाल, पूर्व प्रधान के लड़के रमेश रास्ते पर खड़ंजा नहीं बनने देना चाहते थे। पी०डब्लू० 1 वादी के साक्ष्य में आया है कि मारपीट के घटना स्थल जयदयाल के मकान के पास का है। विवेचक द्वारा नक्शा नजरी में घटना स्थल जयदयाल के मकान के पास दर्शाया गया, जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है। प्रति-परीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० 1 राजेन्द्र ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि मौके पर झगड़े में ईंटे फेंकी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित 11 अभियुक्तगण ने ईंटे फेंकी थी। वहां पर भीड़ थी। भीड़ में भी कुछ लोगों को चोटें आई थी। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्यों में आया है कि घटना के चौथे दिन डाक्टरी मुआयना कराया गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० दिलीप के साक्ष्य में भी आया है कि मेडिकल परीक्षण के समय चोटहिलों की चोटें तीन दिन पुरानी थी अर्थात् चोटहिलों की चोटें दिनांक 21-01-2001 को कथित घटना के सम्बन्ध में आई। इस बाबत वादी के साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है। वादी पी०डब्लू० 1 ने जिरह में स्वीकार किया है कि तहरीर प्रदर्श क-1 के साथ डाक्टरी मुआयना नहीं लगाया गया था। यह संभव है कि प्रदर्श क-1 के साथ रिपोर्ट न प्रेषित की गयी हो। मात्र उसका अंकन किया गया हो। वादी पी०डब्लू० 1 ने बार-बार यह कहा कि गया प्रसाद तत्कालीन ग्राम प्रधान ने खड़ंजा बिछवाने के लिए मंगवायी, ईंटे चारागाह की जमीन पर रास्ता बनवाने के लिए नहीं मगांयी। विवेचक को घटना स्थल का मुआयना वादी द्वारा कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया कि गया प्रसाद और पूर्व प्रधान के बीच पार्टीबंदी के कारण झूठा मुकदमा लिखाया गया, जिससे साक्षी ने स्पष्ट रूप से इंकार किया। वादी पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य का समर्थन चोटहिल/चक्षुदर्शी साक्षी सूरजपाल ने भी किया है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के दिन अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिंकी, महीपाल एवं विद्याराम एक राय होकर ईंट, पत्थर से भतीजे राजेन्द्र सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। अभियुक्तगण जबरदस्ती खड़ंजा बनाने की कोशिश कर रहे थे। भतीजे के मना करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने मारपीट किया। चीख-पुकार सुनकर

पी०डब्लू० 2 सूरजपाल, नरेश, संदेश, शादीलाल और रामेश्वर आदि लोग आ गये। इन लोगों को भी अभियुक्तगण ने मारापीटा। सूरजपाल पी०डब्लू० 2 को भी चोटें आईं। वादी राजेन्द्र सिंह के पैर पर मुन्नालाल ने मारा। पी०डब्लू० 2 ने कहा कि मेरा भी डाक्टरी मुआयना हुआ था। मेरे अलावा राजेन्द्र, रामेश्वर, संदेश, नरेश, शादीलाल को भी चोटें आई थीं। डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ था। पी०डब्लू० 2 ने कहा कि मेरे सीधे कान के ऊपर सिर पर चोटें आई थीं। कन्धे पर चोटें आईं। प्रति-परीक्षा में भी साक्षी ने कहा कि राजेन्द्र की पट्टे की जमीन पर अभियुक्तगण खड़ंगा लगा रहे थे, खोदा-खादी कर रहे थे। यद्यपि पी०डब्लू० 2 को यह ज्ञात नहीं था है कि राजेन्द्र को पट्टा कब हुआ। पी०डब्लू० 2 सूरजपाल ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के चौथे दिन डाक्टरी मुआयना हुआ था। यद्यपि कि साक्षी ने पुलिस द्वारा डाक्टरी मुआयना कराने का कथन किया, किन्तु वस्तुतः पुलिस द्वारा मेडिकल नहीं कराया गया है। चोटहिलों द्वारा स्वयं मेडिकल कराया गया। उक्त कथित विरोधाभास का कोई प्रतिकूल प्रभाव साक्षी की विश्वनीयता पर नहीं पड़ेगा। वादी पी०डब्लू० 1, साक्षी पी०डब्लू० 2 की साक्ष्यों का समर्थन रमेश कुमार पी०डब्लू० 3 ने भी किया है। स्पष्ट रूप से कहा कि घटना वाले दिन राजेन्द्र सिंह के प्लाट में अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल एवं विद्याराम खड़ंगा बनाने की कोशिश कर रहे थे। मना करने पर राजेन्द्र सिंह के साथ मारपीट किया। शोर सुनकर मैं, नरेश, संदेश, शादीलाल, सूरजपाल आद लोग पहुँच गये। इन लोगों ने मना किया तो उन लोगों को भी मारापीटा। डण्डा व ईट पत्थर से मारा। साक्षी पी०डब्लू० 3 ने कहा कि हमारे सिर, हाथ व पैर में चोटें आईं जिनका डाक्टरी मुआयना हुआ। राजेन्द्र के पैर में फावड़े के बेट से वार किया जिससे उसका पैर टूट गयी। अभियुक्तगण ने 'साले धानुका' कहकर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट गाँव के प्लाट के पास हुई। प्रति-परीक्षा में कहा कि इस घटना में मेरे पिता जी के अलावा और लोग भी घायल हुए थे। उस समय गया प्रसाद प्रधान थे, उससे पहले सूरजपाल प्रधान थे। इस साक्षी को यह ज्ञात नहीं है कि खड़ंगा बनाने के लिए तत्कालीन प्रधान

ने कोई ईट मगाँयी हो, किन्तु कहा कि मौके पर एक ट्राली ईटें थी, जो उसी दिन मगाँयी गयी थी। इस साक्षी ने पूर्व की रंजिश से इंकार किया और इस बात से इंकार किया कि चारागाह की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए झूठा मुकदमा किया गया। पी०डब्लू० 3 ने भी कहा कि घटना के चौथे दिन डाक्टरी मुआयना कराया। डाक्टर के पास आते-जाते रहे इसलिए डाक्टरी नहीं करायी। शादीलाल को इस घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में दर्साया गया है, किन्तु न्यायालय के समक्ष अपने शपथपूर्वक बयान में वह घटना से मुकर गये। पी०डब्लू० 4 के रूप में शादीलाल को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपने बयानों में कहा कि दिनांक 21-01-2001 को मैं सुबह मजदूरी करने गया। मेरे साथ अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, मुन्नालाल पुत्र बालकराम, बबलू, छोटेलाल, पिकी, महीपाल एवं विद्याराम ने कोई मारपीट नहीं की थी, किन्तु यह अवश्य कहा कि मैं जब खेत पर जा रहा था तो मुझे गिरने से चोटें आ गयी। साक्षी ने यह भी कहा कि मेरे साथ अभियुक्तगण ने न तो मारपीट की, न कोई गाली-गलौज की, न जान से मारने की धमकी दी। पी०डब्लू० 4 ने यह स्वीकार किया है कि मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद में कराया था। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को प्रति-परीक्षा करने की अनुमति दी गयी। न्यायालय द्वारा भी प्रति-परीक्षा की गयी। पी०डब्लू० 4 ने विवेचक को कोई भी बयान देने से साफतौर पर इंकार किया है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में शादीलाल का मेडिकल परीक्षण अन्य चोटिलों के साथ दिनांक 24-01-2001 को समय 12.30 PM पर पी०डब्लू० 5 द्वारा किया गया है। पी०डब्लू० 4 का यह कथन कि खेत में जाते समय चोटें आई कदापि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में हुआ था। शादीलाल इस घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताये गये हैं। शादीलाल की उपस्थिति घटना स्थल पर चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में है और उन्हें भी अभियुक्तगण द्वारा चोटें पहुँचाई गयी, इसलिए उनके पक्षद्रोही होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव सम्पूर्ण अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ेगा।

पी०डब्लू० 7 श्रीमती कुसमा देवी भी पक्षद्रोही हो गयी और घटना का समर्थन नहीं किया। उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित करने से साफ तौर पर इंकार किया है। अभियोजन द्वारा जिन साक्षियों को परीक्षित किया गया उनमें साक्षी पी०डब्लू० 1 राजेन्द्र सिंह स्वयं वादी और चोटहिल है। इसी प्रकार पी०डब्लू० 2 सूरजपाल भी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं और चोटहिल हैं। पी०डब्लू० 3 भी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं और चोटहिल हैं। अभियुक्तगण द्वारा जबरन खड़ंगा लगाये जाने के कारण वादी द्वारा विरोध किया गया, जिससे आक्रोशित होकर अभियुक्तगण ने एक राय होकर विधि विरुद्ध जमाव करते हुए ईट, पत्थर तथा फावड़े की बेट से मारा। चोटों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3, प्रदर्श क-4, प्रदर्श क-5, प्रदर्श क-6, प्रदर्श क-7, प्रदर्श क-8 एवं मेडिकल परीक्षण करने वाले डाक्टर के बयानों से होती है। सभी चोटें साधार प्रकृति की कुन्द आले से कारित की गयी और लगभग तीन दिन पुरानी थी। अभियोजन साक्षियों के बयानों में यह बात आई है कि घटना के चौथे दिन मेडिकल कराया गया। मौखिक साक्ष्यों से भी मेडिकल में अंकित चोटों की पुष्टि होती है। चोटें स्वाकारित नहीं थी। अपितु अभियुक्तगण द्वारा कारित चोटों के कारण आई थी। अभियोजन साक्षियों के बयानों में तारतम्यता है और प्रत्येक कड़ी को स्पष्ट तरीके से स्थापित करने वाला है। बल पूर्वक खड़ंगा लगाने का विरोध किया जाना स्वाभाविक था, जिसका विरोध वादी पी०डब्लू० 1 ने किया। उसे बचाने अन्य चक्षुदर्शी साक्षी और चोटहिल आये और उन्हें भी मारापीटा। वादी को साले धनुका कहकर जाति सूचक गालियां दी। उन्हें गाली-गलौज देकर प्रकोपित किया गया। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया था कि पूर्व प्रधान सूरजपाल और तत्कालीन प्रधान गया प्रसाद की रंजिश के कारण अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया। उक्त तर्क के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि पूर्व रंजिश के कारण कोई मुकदमा लिखाया गया हो। घटनाक्रम कदापि कपोल कल्पित नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव करते हुए वादी और अन्य चोटहिलों को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी, गाली-गलौज दी गयी, जाति सूचक गालिया भी दी गयी। अभियुक्तगण द्वारा यह

जानते हुए किया गया कि वादी और अन्य चोटिहिल अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। जाति सूचक गालियां लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर दी गयी, जिससे उनके मान-सम्मान व प्रतिष्ठा को चोट पहुँची। साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटिहिलों को आई चोटें साधारण प्रकृति की थी। उनके किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं पायी गयी है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 325 भा०द०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, किन्तु अभियुक्तगण द्वारा बलवा करने के आशय से विधिविरुद्ध जमाव किया, घातक हथियारों से लैस होकर विधि विरुद्ध तरीके से एकत्र होकर बलवा किया, वादी को सामान्य आशय से मारपीटकर स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहति कारित की, वादी को गंदी-गंदी गालियां देकर प्रकोपित किया जिससे लोक शान्ति भंग हुई, वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं वादी को जाति सूचक गालियां देकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य आकाट्य एवं पूर्णतः विश्वसनीय हैं। अभियोजन कथानक के साक्ष्यों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय का यह समाधान है कि अभियोजन अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के आलोक अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, बबलू, छोटेलाल, पिकी एवं विद्याराम के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 323/149, 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1) (X) एस० सी० एस० टी० एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है एवं धारा 325 भा०द०सं० को सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियुक्तगण उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में धारा 147, 148, 323/149, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण नवीन, मुन्नालाल, कैलाश, राजू सिंह, उदयवीर, बबलू, छोटेलाल, पिकी एवं विद्याराम को आरोप अंतर्गत है धारा 147, 148, 323/149, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है तथा धारा 325 भा०दं०सं० में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उनके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

साक्षी पी०डब्लू० 4 शादीलाल, पी०डब्लू० 7 श्रीमती कुसमा देवी द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी गयी है और पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। अतः उनके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य न्यायालय में दिये जाने के कारण धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विविध वाद दर्ज हो तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 07.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्तगण/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब हैं, उनके परिवार में अन्य को कमाने वाला सदस्य नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

(1) अभियुक्त नवीन निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता

है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(2) अभियुक्त मुन्नालाल पुत्र भीकम सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(3) अभियुक्त कैलाश निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(4) अभियुक्त राजू सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता

है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(5) अभियुक्त उदयवीर निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता

है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(6) अभियुक्त बबलू निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(7) अभियुक्त छोटेलाल निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता

है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(8) अभियुक्त पिंकी निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(9) अभियुक्त विद्याराम निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता

है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल/पीड़ित को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 07.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 07.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193